न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 96/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00198)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अमरजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. कुलदीप कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी खीचिंया तहसील रायसिंहनगर। 3. गुरदेव कौर पत्नी बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 4. छिन्द्र कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 ए पी डी तहसील अनुपगढ। 5. परमजीत कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 आरबी तहसील पदमपुर। 6. राजपाल कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी खीचिंया तहसील रायसिंहनगर। 7. लखवीर कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी शेर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. वीरपाल कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनुपगढ।	1. गुरमेल सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरमीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3. जंग सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 3/1. गुरदेव कौर पत्नी जंग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3/2. अमरजीत सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3/3. परमजीत कौर पुत्री जंग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 21.12.2020

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण

––निर्णय–– दिनांकः19.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/23 के मुरब्बा नम्बर 57, 58, की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा में वादीगण को चक 33 एफ के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के नाम चक 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/23 के मुरब्बा नम्बर 57, 58, की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/3 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 3/1 ता 3/3 बावजूद

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। इसलिए वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/23 के मुरब्बा नम्बर 57, 58, की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण अमरजीत सिंह, कुलदीप कौर, गुरदेव कौर, छिन्द्र कौर, परमजीत कौर, राजपाल कौर, लखवीर कौर, वीरपाल कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में क्रमांक 4000 दिनांक 18.12.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/23 के मुरब्बा नम्बर 57, 58, की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	अमरजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। कुलदीप कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी खीचिंया तहसील रायसिंहनगर। गुरदेव कौर पत्नी बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। छिन्द्र कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 ए पी डी तहसील अनूपगढ। परमजीत कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 आरबी तहसील	33 एफ	58	18 19 20	0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	1.90 1.90 1.90

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	पदमपुर। राजपाल कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी खीचिंया तहसील रायसिंहनगर। लखवीर कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी शेर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। वीरपाल कौर पुत्री बक्शीश सिंह पत्नी बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनुपगढ। (0.759 हैक्टेयर ब.हि.ब.)						

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर